उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या– 4289/77–4–23–सीएम87/17
लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 2023

मैसर्स सेठी बिल्डवेल प्रा0लि0 **पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण **विपक्षीगण**

मैसर्स सेठी बिल्डवेल प्रा0लि0 को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–जी0एच0–2बी, सेक्टर–76 का आवंटन किया गया है। मैसर्स सेठी बिल्डवेल प्रा0लि0 के विरूद्ध दिनांक 30.06.2022 तक जल राजस्व के बकाया मद में रूपये 1,35,25,936.00 की धनराशि का मांग पत्र प्राधिकरण द्वारा भेजा गया है। उपरोक्त रिवीजन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

2– प्राधिकरण ने अपने उपरोक्त आदेश में दिनांक 31.03.2021 तक पुनरीक्षणकर्ता के ऊपर जल प्रभार के रूप में रूपये 86,39,071.00 बकाया बताया है, उसके भुगतान के लिए पुनरीक्षणकर्ता को निर्देशित किया है। पुनरीक्षणकर्ता ने निर्माण के दौरान दिनांक 29.10.2014 को रूपये 91,30,700.00 का भुगतान कर अस्थाई जल कनेक्शन प्राप्त किया। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा फ्लैट्स का निर्माण कर उनका कब्जा फ्लैट ओनर को स्थानान्तरित किया जा चुका है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा नोएडा द्वारा भेजे गये बकाये के बिल पर आपत्ति की गई है। नोएडा द्वारा पारित ओदश दिनांक 05.03.2021 में यह स्पष्ट किया गया है कि मैसर्स सेठी बिल्डवेल प्रा0लि0 को जल का कनेक्शन दिनांक 01.11.2014 को उपलब्ध कराया गया और यह दिनांक 31.12.2015 तक अस्थाई था, जिसमें प्रतिमाह जल प्रभार रूपये 1,36,850.00 था। यह कनेक्शन दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक स्थाई कनेक्शन के रूप में रहा है और उक्त अवधि में प्रतिमाह जल प्रभार रूपये 1,09,318.00 है। दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2021 की अवधि में इस कनेक्शन का प्रतिमाह जल प्रभार रूपये 1,85,911.00 है।

3– उपरोक्त दरों पर की गई गणना एवं ब्याज सरचार्ज, तय सेस की दरें शामिल करते हुए कुल देय धनराशि रूपये 1,69,18,659.00 होती है। जिसके सापेक्ष याचिकाकर्ता द्वारा रूपये 82,79,788.00 जमा किये गये हैं। अतः शेष धनराशि रूपये 88,39,071.00 बनती है। सुनवाई के दौरान उपस्थित डी. जी.एम., जल श्री आर0पी0 सिंह ने अवगत कराया कि पुनरीक्षणकर्ता ने फ्लैट्स बनाने के बाद कब्जा फ्लैट ओनर को स्थानान्तरित कर दिया है, परन्तु वाटर चार्जेज की धनराशि वह फ्लैट ओनर से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और कनेक्शन मैसर्स सेठी बिल्डवेल प्रा0लि0 के नाम से ही है। अतः वाटर चार्जेज के बिल नियमतः मैसर्स सेठी बिल्डवेल प्रा0लि0 के नाम से ही जारी किया जा रहा है।

4– पुनरीक्षणकर्ता का तर्क और बिल के सही होने पर उठायी गयी आपत्तियां निराधार पायी गयीं। अतः रिवीजन निरस्त किया जाता है तथा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2021 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
आयुक्त।

संख्याः-4289 (1)/77-4-23तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मैसर्स सेठी बिल्डवेल प्रा0लि0, एल0जी0एफ0-59, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाबर रोड, नई दिल्ली।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)

अनु सचिव।